आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में किया जावेगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जावेगा।
2. आवेदन पत्र के साथ 3.5 सेमी X 3.5 सेमी साईज की नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रन्टपोज में (सफेद पृष्ठभूमि मात्र) लगाना होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण-पत्र के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा -
   (1) राशन कार्ड, (2) ड्रायविंग लाईसेंस, (3) विद्युत देयक, (4) मतदाता पहचान पत्र, (5) राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य।
4. आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाना है, उस पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2012 में ..... स्थान की यात्रा के लिये आवेदन पत्र अंकित किया जावेगा।
5. इच्छुक आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदक शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में जमा किये जा सकेंगे। इन निकायों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की यात्रा के स्थानावार, बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. आवेदकों की पृथक-पृथक सूची तैयार कर आवेदन पत्रों सहित जिले के उप संचालक, समाज कल्याण विभाग दुर्ग को भेजी जावेगी।

यात्रियों की सुविधा एवं मार्गदर्शन :

यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री के साथ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी भेजे जावेंगे। जो यात्रा के दौरान यात्रियों एवं आई.आर.सी.टी.सी. के संपर्क में रहेंगे। यात्रा हेतु निर्धारित प्रत्येक ट्रेन में 18 कोच होंगे, जिसमें स्लीपर, पेन्ट्री एवं लगेज कोच होंगे।

यात्रा के दौरान खाने की, सड़क परिवहन, रुकने हेतु धर्मशाला, होटल एवं टूरिस्ट गाईड की व्यवस्था होगी। यात्रा के दौरान सिर्फ शाकाहारी नाश्ता, भोजन देय होगा। तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिये बस की व्यवस्था रहेगी। यात्रियों की दुर्घटना बीमा कराया जावेगा।

वैष्णोदेवी, पारसनाथ जैसे स्थानों के पहाड़ियों पर चढ़ने की व्यवस्था आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा नहीं की जावेगी, बल्कि यात्रियों को स्वयं करनी होगी।

यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियाँ :-

यात्रा के दौरान होने वाले किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

टीप : योजना एवं आवेदन पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत, नगरीय निकाय अथवा उपसंचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना

पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना'' लागू की गई है। इस योजना के संक्षिप्त में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है –

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासी (वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो) को तीर्थ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। यह यात्रा उनके जीवनकाल में एक बार कराई जावेगी।

यात्रा स्थान :

शासन द्वारा दुर्ग जिला हेतु वर्ष 2012–13 में तीर्थयात्रियों के लिये नीचे उल्लेखित तीर्थ स्थान निर्धारित किये गये हैं –

प्रथम यात्रा : 2 फरवरी 2013 को द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर।

द्वितीय यात्रा : माह मार्च 2013 में दिनांक 17.3.2013 को अमृतसर स्वर्णमंदिर, दिनांक 24.3.2013 को अजमेर शरीफ, फतेहपुर (चिश्ती की दरगाह) एवं दिनांक 30.3.2013 को वेलांगणी चर्च, नागापट्टनम (तमिलनाडु)।

यात्रा हेतु पात्रता :

इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होगा।

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
2. योजनांतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो। (प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जीवनकाल में सिर्फ एक बार तीर्थ यात्रा करने की पात्रता है।
3. आवेदक यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग तथा टी.बी., कन्जेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary Thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
4. वर्तमान एवंभूतपूर्व शासकीय सेवक यात्रा के पात्र नहीं होंगे, साथ ही आयकर दाता श्रेणी के व्यक्ति भी योजना के पात्र नहीं होंगे।
5. सहायक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक या आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है। सहायक की उम्र 21 वर्ष से अधिक एवं50 वर्ष से कम होना चाहिए।
6. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपने साथ एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी।
7. समूह में यात्रा करने पर समूह का प्रत्येक व्यक्ति यदि 65 वर्ष से अधिक आयु का है तो 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी।
8. यदि आवेदक पति/पत्नि में से किसी एक का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, चाहे जीवन साथी की उम्र 60 वर्ष से कम हो। इस हेतु आवेदन करते समय ही, आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने के इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन पत्र भी आवेदक के साथ संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन पत्र भी आवेदक के आवेदन पत्र के साथ जमा किया जा सकता है।
9. पति/पत्नि यदि साथ में यात्रा करते हैं एवंउनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो, तो उन्हें सहायक ले जाने की पात्रता नहीं होगी।
10. केवल वह व्यक्ति जिसका चयन किया गया हो, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।
11. योजना अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं है।
12. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी दी है, तो उसका आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट :–

1. यात्रा में रवाना होने के पूर्व प्रत्येक यात्री का मेडिकल टेस्ट किया जावेगा।
2. मेडिकल सर्टिफिकेट के अभाव में कोई तीर्थ यात्री यात्रा हेतु रवाना नहीं हो सकेगा।
3. मेडिकल टेस्ट में हितग्राही के वर्तमान के संबंध में सामान्य जानकारी एवंरोगों क्रमशः ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ऐलर्जी, मधुमेह आदि का भी उल्लेख होना चाहिये ताकि यात्रा के दौरान मेडिकल सहायता की आवश्यकता होने पर यात्रा के साथ भेजे गये डॉक्टर को सुविधा हो।
4. मेडिकल टेस्ट में संक्रामक रोग यथा टी.बी. कांजेस्टिव कार्डियक श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी Coronary अपर्याप्तता Coronary Thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि की भी जानकारी सम्मिलित हों।
5. यात्रा हेतु चिकित्सक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने का प्रमाण–पत्र देंगे।

तीर्थ यात्रा हेतु हितग्राहियों का जिलेवार कोटा :

इस योजना में 80 प्रतिशत हितग्राही क्रमशः बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबीरेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे जो आयकर दाता न हो। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जावेगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो लाटरी पद्धति द्वारा यात्रियों का चयन किया जावेगा।

19. ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के कक्षा 01 से स्नातकोत्तर स्तर तक दो संतान तक रूपये 500/- से रूपये 5000/- वार्षिक छात्रवृत्ति देय।

पात्रता :- पंजीकृत ठेका श्रमिक,घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जावेगा। मंडल में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। छात्र/छात्राओं को यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक अथवा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष के अध्ययन की पात्रता होगी।

20. ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना:-

हितलाभ :- पंजीकृत महिला कामगार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5000/- एवं तृतीय तिमाही (आठवे माह) रूपये 5000/- प्रसूति लाभ देय होगी। योजना का लाभ केवल 02 बार प्रसव हेतु देय होगा।

पात्रता :- महिला श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

21. ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना:-

हितलाभ :- इस योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी।

पात्रता :- पंजीकृत ठेका घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह अथवा 01 बार पुनर्विवाह अथवा ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक हिताधिकारी के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम न हो 02 पुत्रियों पर देय होगी।

22. हमाल हेतु जूता,हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी योजना के तहत रूपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता :- योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के हितग्राही पात्र होंगे। इस योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। मंडल में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

23. घरेलू कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना :-

हितलाभ :- सायकल हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर एवं छतरी, चप्पल/जूता हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :- राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य सामांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। इस योजना में 18 से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे।

24. घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना :-

हितलाभ :- योजना के अंतर्गत समय समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक को स्वयं एवं ठेका श्रमिक एवं हमाल के परिवार के सदस्यो को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पात्रता :- आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मंडल में घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अधिसूचित कर्मकारों का प्रवर्ग

1.धोबी 2. दर्जी 3. माली 4. मोची 5. नाई 6. बुनकर 7. रिक्शा चालक 8. घरेलू कामगार 9. कचरा बीनने वाले 10. हाथ ठेला चलाने वाले 11. फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता 12. चाय, चाट ठेला लगाने वाले 13. फुटपाथ व्यापारी 14. हमाल, कुली, रेजा 15. जनरेटर/लाईट उठाने वाले 16. केटरिंग में कार्य करने वाले कुली 17. फेरी लगाने वाले रेजा 18. मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले 19. गैरेज मजदूर 20. परिवहन में लगे मजदूर 21. आटो चालक 22. सफाई कामगार 23. ढोल/बाजा बजाने वाले 24. टेंट हाउस में काम करने वाले 25. वर्नोपज में लगे मजदूर 26. मछुवारा 27. दाई का काम करने वाली 28. तांगा/बैल गाड़ी चलाने वाले 29. तेल पेरने वाले 30. अगरबत्ती बनाने वाले 31.गाड़ीवान 32. घरेलू उद्योग में लगे मजदूर 33. भड़भूजे (मुर्रा, चना फोड़ने वाले) 34. पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर एवं करने वाले 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर 36. खेतीहर मजदूर 37. राऊत, चरवाहों, दूध दूहने वाले 38. मितानीन 39. नांव चलाने वाले (नाविक) 40. कन्सारी 41. नट-नटनी 42. देवार 43. शिकारी 44. अन्य घुमन्तु जाति 45. खैरवार 46. रसोईया 47. हड्डी बीनने वाले (हड्बिनन्न) 48. काष्ठागार में काम करने वाले हम्माल 49. समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) 50. सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत् लाईट मैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन 51. सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर 52. कोटवार 53. ठेका मजदूर (छ.ग. एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधी योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर)

पंजीयन एवं योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- किसी भी कम्प्युटर सेन्टर/च्वाईस सेन्टर में जाकर श्रम विभाग के वेब साईट cglabour.nic.in में जाकर आवेदन भर सकते है।
- पंजीयन हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो को स्केन कर वेब साईट में दिए निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- आयु प्रमाण-पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण-पत्र स्केन कर वेब साईट में दिए निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के स्थायी एवं अस्थायी पता हेतु राशन-कार्ड स्केन कर वेब साईट में दिए निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य।
- उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में संपर्क करना होगा।
- श्रमिक अपने पंजीयन अथवा योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने हेतु जिले में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायतों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ संवाद

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (श्रम विभाग)

मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण

पी03, सी0 244-245, सेक्टर-27, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नया रायपुर
दूरभाष क्रमांक - 0771-2971063
e-mail : uowbraipur@gmail.com

1. मुख्यममंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना :-

हितलाभ :- एक सायकल (प्रति हितग्राही) राशि रूपये 2,918/- देय होगा।

पात्रता :- प्रदेश के किसी भी जिलें में पंजीकृत महिला कर्मकार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की हो। मंडल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त हितग्राही अपात्र होंगे।

2. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना :-

हितलाभ :- एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) राशि रूपये 4,620/- देय होगा।

पात्रता :- पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष आयु समूह का हो। वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है या किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय हो एवं प्रदेश के किसी भी जिलें से पंजीकृत हो, को लाभ प्रदाय किया जावेगा। मंडल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

3. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल-रिक्शा सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत असंगठित कर्मकार को सायकल-रिक्शा/हाईटेक सायकल रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा 25 प्रतिशत अंशदान करने पर 75 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 5,000/- वास्तविक लागत जो भी कम हो, सहायता प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :- पंजीकृत रिक्शा चालक असंगठित कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह की हो। राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

4. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल योजना :-

हितलाभ :- एक सायकल प्रति हितग्राही राशि रूपये 2918/- देय होगा।

पात्रता :- समाचार पत्र बांटने वाले असंगठित कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिलें में पंजीकृत हो। राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

5. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, कैंसर, सिकलसेल, इनिमिया, हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु रूपये 50,000/- की चिकित्सा सहायता।

पात्रता :- 18 से 60 वर्ष की आयु के एवं मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत असंगठित कर्मकार। 50 हजार की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तवितक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

6. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना:-

हितलाभ :- मंडल द्वारा राशि रूपये 1,000/- प्रति श्रमिक पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा केन्द्रांश राशि रूपये 1,000/- तथा पंजीकृत असंगठित कर्मकार द्वारा अपना अंशदान राशि रूपये 1,000 जमा किया जावेगा।

पात्रता :- योजना में 18 से 60 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे।

7. मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना:-

हितलाभ :- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार (राउत/चरवाहा) को सायकल हेतु रूपये 3000 अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम हो प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :- 18 से 60 वर्ष तक के श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक होगा। राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

8. मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना :-

हितलाभ :- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कोटवार को सायकल हेतु रूपये 3000 अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल हेतु निर्धारित दर जो कम होगा एवं टॉर्च हेतु रूपये 750 प्रति व्यक्ति प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :- 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत कोटवार। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक होगा। मंडल द्वारा 18 से अधिक आयु के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो अपात्र होगा।

9. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :-

हितलाभ :-

- वार्षिक किश्त के रूप में रूपये 12/-.
- दुर्घटना मृत्यु पर रूपये 2,00,000/-
- स्थायी अपंगता पर रूपये 2,00,000/- देय होगा।

पात्रता :- योजना में 18 से 70 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे।

10. सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना:-

हितलाभ :- योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं परिवार के सदस्यों को सीएसएसडीए द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में व्ही.टी.पी. के द्वारा प्रशिक्षण।

पात्रता :- मंडल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा तथा अकुशल श्रमिक के भांति न्यूनतम वेतन मानदेय देय होगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो अपात्र होगा।

11. सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना :-

हितलाभ :- रूपये 1000/- से रूपये 15000/- तक पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :- मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। छात्र/छात्राओं को यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष की अध्ययन की अनिवार्यता होगी।

12. सफाई कर्मकार के पुत्र-पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना :-

हितलाभ :- कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिग, चिकित्सा, सीए, एमबीए अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग में लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।

पात्रता :- पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को विशेष कोचिंग का शुल्क प्रदान किया जावेगा। मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो अपात्र होगा।

13. सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता हेतु रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता।

पात्रता :- 18 से 60 वर्ष के सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नि, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है। मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

14. सफाई कर्मकार पुत्र-पुत्री सायकल सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) यदि वे शाला/विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, को प्रदान किया जावेगा।

पात्रता :- पंजीकृत सफाई रकर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को सायकल प्रदान किया जावेगा। मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

15. सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना:-

हितलाभ :- पंजीकृत महिला कामगार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5,000/- एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह) रूपये 5,000/- प्रसूति लाभ देय होगी।

पात्रता :- सफाई कर्मकार महिला जो मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकरों के पत्नि अपात्र होंगे।

16. सफाई कर्मकार विवाह सहायता योजना :-

हितलाभ :- इस योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी।

पात्रता :- पंजीकृत महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह/एकबार पुनर्विवाह अथवा सफाई कर्मकार हितग्राही के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नही हो (दो पुत्रियों पर ही देय होगा) मंडल में सफाई कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

17. सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना :-

हितलाभ :- पंजीकृत हितग्राही को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन के एवज में रू. 700/- प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :-

- प्रदेश के किसी भी जिलें में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

18. ठेका श्रमिक, एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना:-

हितलाभ :- पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000/- तक चिकित्सा सहायता, दवाई की खरीदी हेतु प्रति वर्ष प्रदाय की जावेगी।

पात्रता :- इस योजना में आयु 18 से 60 वर्ष। मंडल में ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।